

न्यायालय तहसीलदार, गंगापूर सिटी (जिला- सवाई माधोपुर)

मु.नं. : 9/18

तारीख रजू : 4-1-18

निर्णय दिनांक : 16-1-18

सरकार बनाम सरूपी

-: निर्णय :-


पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सलेमपुर ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि सरूपी पत्नि मूडया जाति गुर्जर निवासी मिर्जापुर ने खसरा नं. 745 रकबा 0.01 ऐयर किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम सलेमपुर पर संवत् 2074 में अनाधिकृत रूप से जोत कर अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

गैरसायल उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत कर अतिचार से इंकार किया।


उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया। पटवारी हल्का ने अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है।

अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जाता है एवं इन पर लगान 8.60/- की 50 गुनी शास्ति 430/- आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार ध्वस्त कर नीलाम करें एवं पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16-1-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


तहसीलदार
गंगापूर सिटी

रजिस्टर 'घ' के पेज संख्या ...150
पर रुपये 430/- की कायमी वर्ष
2018-19 की गई।


तहसील राजस्व लेखाकार